

फर्द अहकाम

अशोक बनाम 2018/100

नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या- टी.आई-36/2019

09/3/2021

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। दोनों प्रार्थना पत्रों टी.आई. 30/2018 उनवानी जगदीश बनाम रामरानायण व टी.आई. 36/2019 अशोक बनाम जगदीश का मन्सू कर पाया कि दोनों में सभी पक्षकार समान हैं व विवादित भूमि ग्राम चेतावाला तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा न. 3 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा न. 4 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के हाल खसरा न. 2 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा न. 3 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा न. 4 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा न. 5 रकबा 1.26 हैक्टेयर समान हैं। प्रतिवादी /अप्रार्थी संख्या 2,3 व 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 के अधिकता ने जवाब पेश किया व वास्ते बहस पेश हुये। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 30/2018 व प्रतिवादी/अप्रार्थी 3 व 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 ने प्रार्थना पत्र 36/2019 में विवादित उक्त लिखित खसरा न. में अंतरिम अरथाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। अपनी बहस में भी वादी/प्रार्थी व प्रतिवादी/अप्रार्थी 3 व 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 ने टी.आई. हेतु सहमती दी। वादा ने लिखित बहस पेश की। प्रार्थी/वादी ने लिखित बहस पेश कर पुनः निवेदन किया कि अप्रार्थी किसी भी तरफ से प्रार्थी को उसके कब्जेकाशत व उसके हिस्से की भूमि से वेदखल करना चाहते हैं। अतः तावादा उनको अरथाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावलियों का मनन कर पाया कि प्रकरण दिनांक 06.09.2013 से विचाराधीन है। इस दौरान कई बार मारपीट इत्यादी की जानकारी भी आयी है। जिसके सबूत पत्रावली में शामिल हैं। यदि अरथाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वादी की बहसना चढेगी व प्रार्थी /अप्रार्थी की क्षति भी हो सकती है अतः न्यायालय विवादित भूमि ग्राम चेतावाला तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा न. 3 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा न. 4 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के हाल खसरा न. 2 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा न. 3 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा न. 4 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा न. 5 रकबा 1.26 हैक्टेयर न उभयपक्षों का वाद के निस्तारण तक मौफा व राजस्व रिकॉर्ड की यथारिथति बनाये रखने हेतु पाबंद करता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिले दफ्तर में। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर प्रथम

